

Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics in LFT and metres respectively and not in numbers. Imports of films into India and exports of films from India during these years were as follows :—

(Value in rupees lakhs) 1959-60			
Imports		Exports	
Quantity	Value	Quantity	Value
17,393,000	36.49	33,767,000	173.07
LFT		LFT	
1966-67			
Imports		Exports	
Quantity	Value	Quantity	Value
8,149,000	70.52	4,385,000	136.21
Metres.		Metres.	

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

I. REPORTED LYING IDLE OF A CONSIGNMENT OF 17,00,000 LBS OF AUSTRALIAN WOOL IN THE GODOWNS OF STATE TRADING CORPORATION

MR. CHAIRMAN : There are two Calling Attention Notices. The first is by Mr. M. Sundaram. I find he is not here. So I would like the statement to be placed on the Table of the House.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): Sir, I beg to lay the statement on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2201/67.]

II. INCREASE IN PRICE OF WOOL AND MONOPOLY IN ITS TRADE AS A RESULT OF THE GRANT OF IMPORT LICENCES FOR RAW WOOL TO PERSONS OTHER THAN ACTUAL USERS

SHRI RAJNARAIN (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, I beg to call the attention of the Minister of Commerce to the increase in price of wool and monopoly in its trade as a result of the grant of import licences for raw wool to persons other than actual users.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): Mr. Chairman, Sir, I presume that the Hon'ble Member has in mind the recent changes in the policy for distribution of

raw wool to the actual users in the woollen industry and the canalisation of all imports of raw wool through the State Trading corporation.

The import of raw wool by actual users and by manufacturer-exporters under the policy for registered-exporters are governed by two different sets of procedure. Until recently the actual user licences for import of raw wool for conversion into yarn for domestic consumption, was given to mills both composite and spinning in the organised sector.

There is a production control which provides for various mills spinning different varieties of yarn such as weaving, hosiery and knitting in the worsted sector of the industry which is by far the most important. The national average is 55 per cent, 27 per cent and 18 per cent for weaving, hosiery and knitting yarn respectively. Composite mills are permitted to utilise a portion of the yarn produced by them on their own looms. They are, however, expected to sell some percentage of their production to the decentralised sector. Spinning mills are expected to sell their entire production to the decentralised sector. There is price and distribution control on yarn sold to the decentralised sector. Permits are issued by the Textile Commissioner on various mills in favour of the decentralised sector for allocation in respect of the variety of yarn required by that particular sector.

In the weaving sector, about two third of the total registered loomage is in the organised sector and about one third in the decentralised sector. 90 per cent of the production of the hosiery yarn and about 42 per cent of the production of knitting yarn is consumed by units in the decentralised sector. The distribution of hosiery yarn to various units in the decentralised sector is looked after by the Director of Industries, Punjab.

While there was price control on various varieties of grey yarn produced by mills out of wool imported against actual user licences, there was no control on the prices of finished fabrics, hosiery and knitting wool. There was no price control on yarn produced out of wool imported either under the National Defence Remittance Scheme or under the old Export Promotion Scheme or in the new Export Replenishment Scheme.

In regard to imports of wool by registered manufacturer-exporters for replenishment purposes in terms of the policy for registered exporters, manufacturer-exporters other than mills in the organised sector, have to nominate in advance a mill of their choice for getting the wool and for its conversion into yarn.

This distribution scheme has been in operation for quite some time now. As there was no price control on the finished products even though there was price control on the grey yarn, the ultimate consumer was not really being benefitted as the prices of the finished products whether yarn or cloth were uncontrolled. Thus the decentralised sector as well as the consumers were entirely dependent on the organised sector for their requirements. This system had also given rise to certain abuses. For example the mills in the organised sector at times failed to deliver the requisite quantities of yarn to the decentralised sector. There was thus a considerable backlog in the matter of such deliveries. The decentralised sector further complained that this yarn had already been sold to others even though it was earmarked for distribution to them. It was also not possible under this system to verify such complaints as the price control operated only in respect of a portion of the total production, and it was not possible to identify from manufactured yarn as to whether it was made out of wool imported under the actual user licences to be distributed at controlled price, or out of imports made under other schemes. Another complaint often was that the yarn supplied to them was sub-standard in quality as well as underweight. While the industry in general offered to cooperate in regard to, deliveries of yarn to the decentralised sector, in actual effect, the backlogs increased and various reasons were given from time to time for non-delivery of yarn. This was not a healthy state of affairs.

Moreover in regard to the imports under the policy for registered-exporters, the manufacturer-exporters in the decentralised sectors were finding a lot of inconvenience consequent on the need to nominate in advance a spinner to receive the wool which they were eligible to get as replenishment against their own exports. Having regard to all these factors, it was considered that a basic change in the distribution pattern was clearly necessary.

After carefully considering the matter in all its aspects and having heard the

representatives of all the various interests most concerned, the policy of distribution has been revised broadly as follows :—

- (1) All imports of wool either for domestic consumption or for export purposes will be canalised through the State Trading Corporation.
- (2) There will be no price, distribution or production control.
- (3) 20 per cent of the amount earmarked for the worsted sector will be distributed to mills in the organised sector on the basis of their installed and recognised spindleage. This should give them some stability and they will be free to produce any variety of yarn of their own choice and sell it freely.
- (4) The balance of 80 per cent will be distributed to various sectors in the proportion of 55 per cent for weaving, 27 per cent for hosiery and 18 per cent for knitting. This will ensure that the requirements of the different types of consumers are adequately met.
- (5) In the case of the weaving sector the amount earmarked will be distributed on a *prorata* basis on installed and recognised loomage whether in the organised sector or in the decentralised sector. In the case of composite mills in the organised sector, the allotment in respect of their looms will be made to the mills direct. This is expected to account for about 65 per cent of the allocation.
- (6) Units in the decentralised sector will get a direct allotment of wool and it would be open to these units to organise themselves into associations for purposes of bulking their allotments and bargaining with the authorised spinning mills for conversion of wool into yarn on commission basis. The same procedure would apply in the case of hosiery and knitting sectors except that in these sectors the allotment to each unit would be based on past consumption as recognised by the Textile Commissioner.

[Shri Mohd. Shafi Qureshi]

- (7) Wool allotted to the units in the decentralised sector should be converted into yarn only through authorised spinning mills whether forming a part of a composite unit or otherwise. In other words, the decentralised sector cannot convert the wool into yarn through any unauthorised spinners. For this purpose, certain safeguards have been also provided.
- (8) One of the conditions of the allotment is that a certain sizeable percentage of the production of every unit whether in the organised sector or in the decentralised sector should be supplied to the co-operative societies, Super Bazars, etc., at reasonable prices.
- (9) Simultaneously, with these changes, manufacturer-exporters in the decentralised sectors will not be under an obligation to nominate in advance, a mill in the organised sector for getting imported wool. They could get a direct allotment of wool through the State Trading Corporation as in the case of their actual user allotments and get it converted into yarn through any of the authorised mills.

As a result of these changes it is hoped that the ultimate consumer will get woollen cloth and hosiery at prices lower than those obtaining at present. The decentralised sector will also get a fair deal. As their entitlements in terms of wool would be allotted to the decentralised sector direct, the authorised spinners would have to compete for getting the wool spun. By thus introducing an element of competition in the matter of conversion of wool into yarn it is expected that the decentralised sector would get the yarn of the quality required by them, in proper time and in correct quality and quantity and possibly at a somewhat cheaper price, than they do at present. The decentralised sector has given an assurance that a fair opportunity will be given to all eligible spinning mills to compete for their custom.

These changes have been welcomed by the decentralised sector. The organised sector is understandably agitated in.

this matter particularly as they will have to depend on the decentralised sector for utilising their capacity instead of the decentralised sector being dependent on the organised sector as hitherto. They have sent various representations and some of the points made are:—

1. Industry's installed capacity is grossly under-utilised.
2. This is likely to result in diversion of raw material which will precipitate severe dislocation in working and employment.
3. The raw material is likely to be diverted to the unauthorised spinners.

There is not much substance in these contentions as it is a condition of the allotment to the decentralised sector that wool cannot be diverted to unauthorised spinners and various checks have been provided for this purpose. The capacity to be utilised will be the same irrespective of whether the wool is allotted to the decentralised sector or the organised sector as it is to be converted into yarn only through authorised mills in the organised sector. No doubt this might mean some redistribution of the quantum of business as between the different spinners based on their competitive efficiency, but this needs to be faced. In any case the flat allocation of 20 per cent and the weaving quotas allocated to the composite mills would still ensure that a substantial part of the available supplies of wool flows to them for spinning.

The revised scheme of distribution will in the opinion of Government restore healthier conditions in the woollen industry taken as a whole and in the process improve the prospects of the consumer whether of cloth or hosiery of getting his requirements at more reasonable prices.

In view of the various complaints which have been received from time to time in regard to malpractices in the import of raw wool etc., it has been decided that all imports of wool whether for domestic consumption or for export purposes, should be canalised through the State Trading Corporation. This should ensure that wool will be obtained at proper prices and distributed smoothly to the various sectors. This is a step which I hope will be welcomed by the House as being in the best interests of the industry.

श्री राजनारायण : श्रीमान, हमारा काम कितना दुरूह है। माननीय मंत्रों जो ने करीब 17 मिनट लिये अपने बयान को पढ़ने में। मुझ मालूम नहीं इसे इसके पहले भी इन्होंने पढ़ा था या नहीं और अब उसको पढ़ने के बाद भी समझ पाए हैं या नहीं। मैं आपके द्वारा सरकार को भी और इस सदन के सम्मानित सदस्यों को जो भ्रष्टाचार की सरिता बहाई जा रही है इस नई नियमावलि के द्वारा उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारा प्रश्न है कि वास्तविक उपयोगकर्ताओं से भिन्न व्यक्तियों को कच्चे ऊन के लिए आयात लाइसेंस दिए जाने के परिणामस्वरूप ऊन के मूल्य में वृद्धि होने तथा उसके व्यापार में एकाधिकार होने को और वाणिज्य मंत्री का ध्यान दिलाना। यह हमने ध्यान दिलाया है। जो अभी मंत्री जो ने बयान पढ़ा उसको नट-शेल में समझने का कोशिश की जाय तो इतना ही निकलता है कि शुरु से जब से हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहे थे ठेकेदारी की प्रथा के विरुद्ध थे, हम बराबर कहते रहे हैं कि मध्यस्थ को समाप्त करो, सीधे रास्ते ले चलो। अब मंत्री जो क्या कहते हैं, आखिर में पढ़ा जाय—जो कच्चा ऊन है उस कच्चे ऊन को हम घागा बनाने के लिए जो उसके आयर-राइज्ड और सेन्ट्रलाइज्ड कातने वाले करघे हैं उनको 20 फीसदी देंगे और 80 फीसदी उनको देंगे जो ऊन लेकर फिर उन्हीं आयर-राइज्ड लोगों से उसका घागा बनवाएंगे। यह द्रविड़ प्राणायाम क्यों; सीधे-सीधे जो कच्चे ऊन से घागा बनाते हैं उन्हीं को क्यों नहीं देते हैं, जबकि देते हैं दूसरों को जो खद उन्हीं से कतवाएंगे! इसकी नजाकत जरा समझो जाय, यह क्यों हो रहा है। एक आस्ट्रेलियन गिफ्ट एग्रीमेन्ट हुआ है, आस्ट्रेलिया को सरकार कुछ गिफ्ट करती है ऊन इस सरकार को। मैं आपके द्वारा मांग करूँगा कि वह गिफ्ट एग्रीमेन्ट पुरे तरीके से सदन के सम्मानित सदस्यों की सेवा में रखा जाय, उसको सरकार अब तक

छिपाए हुए है, मनमाने तरीके से जब उसका जैसा भाष्य होता है कर लिया करते हैं। 1966-67 में आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कुल 17 लाख पौंड ऊन गिफ्ट में मिली, इसकी पूरी कीमत थी डेढ़ करोड़ रुपए। अभी 23 लाख पौंड ऊन और मिलने वाला है कोलम्बो प्लान योजना के अन्तर्गत। अब सरकार यह नई स्कीम के अन्दर चला रही है। मैं समझता हूँ, श्रीमान, कि सरकार ने शायद इसको पूरा पढ़ा नहीं है, मगर भाष्य या दूरभाष से आज सरकार की इतनी अयोग्यता हो गई है कि जो 22-11-67 को सर्कुलर लेटर इनके दफ्तर से भेजा गया है उसकी प्रमाणिक प्रति हमारे पास मौजूद है। मैं आपकी आज्ञा से उस पत्र को पढ़ देना चाहूँगा।

"From

Shri A. G. V. Subramaniam,
Under Secretary, Commerce
Ministry, New Delhi. To

Shri Rangaswamy, Textile
Commissioner, Bombay.

As you are aware, we have been having discussions with the various sectors of the woollen industry in regard to the policy to be adopted for allocation and distribution of raw materials for the next licensing period. The following decisions have been taken :—"

म इस पुरा नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इतना पढ़े देता हूँ—

"All imports of wool whether for domestic consumption, export or for export replenishment will be canalised through STC. This will also apply to the import of Polyester fibre and other synthetic fibres under the policy for registered exporters both in respect of woollen goods and mixed woollen goods with a content of synthetic fibre."

"20 per cent of the amount allotted to the worsted sector will be distributed to the mills in the organised sector..."

[श्री राजनारायण]

मूल प्रश्न यह है कि अब तक जो आर्गोनाइज्ड सेक्टर में मिल्स थीं उनको सरकार देती रही है कातने के लिए। अब सरकार यह कह रही है कि 20 परसेंट ही उनको देंगे और 80 फीसदी हम अपनी स्वेच्छा से बांटेंगे, यानी सरकार अपने चहेतों की एक श्रेणी बना रही है जो इस सरकार के चहेतें होंगे, जो इस सरकारी विभाग में लगे हुए बड़े बड़े अफसरों को जायज-नाजायज तरीके से खिलायेंगे उनको यह सरकार डिस्ट्रीब्यूट कर देगी कच्चे ऊन को और फिर जिनको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनको कहेंगे तुम उन्हीं से कतवाओं जो अथराइज्ड हैं कातने के। मान लीजिये इसके पास मिल है, हमारे पास मिल नहीं है और इन्हीं के पास कच्चे ऊन को कातने के लिये फिर ले जाएंगे तो इनको सरकार न देकर हमको क्यों देती है? इसलिये कि हम मनमाने ढंग से इनसे अपना अलग से सौदा बनाएँ और मनमानी उंची कीमत पर उनको वही कच्चा ऊन कातने को दें जो उनको ही सरकार दिए होती तो ये स्वतः कात लेते। मैं अदब के साथ कहना चाहूँगा कि यह सरकार इस मामले में साफ हो कि यह द्रविड़ प्राणायाम क्यों किया जा रहा है। हमारे पास पूरी लिस्ट है। मैं उस लिस्ट को भी आपकी इजाजत से पढ़ूँगा। देखिए कुल 7 करोड़ 5 लाख रुपये की ऊन आएगी। इस 7 करोड़ 5 लाख रुपये में से वेस्टेड सेक्टर को 400 लाख रुपये का माल मिलेगा, बाकी, जिनके अन्दर वीविंग, होजियरी और निटिंग है तो, प्रपोज़नेटली उसको भी दे देंगे। 4 करोड़ रुपये का ऊन तो इस तरीके से जायेगा बाकी चला जा रहा है—

"Production for *ad hoc* allocation of hosiery yarn and weaving yarn to Himachal Pradesh."

मालूम होता है कि हमारे मित्र माननीय मंत्री जी आ बिहार, उत्तर प्रदेश, बम्बई, मध्य प्रदेश, राजस्थान से कोई द्वेष रख

रहे हैं, यह दे रहे हैं 25 लाख रुपये का हिमाचल को, हिमाचल में ऐसे लोगों को जो कि उस ऊन को फिर उसी सेक्टर को देंगे जो कि आर्गोनाइज्ड सेक्टर में उसे कात कर घागा लगायेगा। 4½ लाख रुपये का ऊन देंगे सोनी को। यह सोनी कोत है बड़ा भारी रहस्य है। मैं चाहूँगा कि सोनी के रहस्य को माननीय मंत्री जी भी समझें।

अब मैं एक बहुत ही अप्रिय घटना का वर्णन करूँगा, चाहता नहीं था कि उसका वर्णन करूँ मगर उसका वर्णन हमको करना पड़ रहा है। 8-11-67 को 5 बजे कर 10 मिनट को शाम को जो फ्लाइट बम्बई से चलती है और जो 7 बजे नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुँचती है उसमें आर० के० सोनी साहब हैं जो कबीर उलान मिल्स के हैं। वह वहीं से फोन करते हैं। यह कैसे लीकेज हुआ हमारे सामने बात कैसे आई इसका पता आप लगाइये, मंत्री लगाये, सरकार लगाये। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया था। दो कार पहले से वहाँ विद्यमान थी। श्रीमन्, सम्बन्धित व्यक्ति आये हैं और एक गाड़ी में और लोगों को बिठा कर के कहा कि तुम तो अशोका होटल में जाओ और मैं जा रहा हूँ इस समय खां साहब के घर। अब वह खां साहब कौन हैं मैं नहीं जानता, क्या वह खां साहब हमारे माननीय मित्र वर्तमान डिप्टी मंत्री तो नहीं है, क्योंकि वहाँ से खां साहब को फोन किया गया और 25 साड़ियाँ एक दूसरी मोटर में रख कर के जो भी खां साहब होंगे वहाँ पर ले जाई गई। और उस सोनी साहब के बारे में जो जजमेंट है वह मैं पढ़ देना चाहूँगा। 10 आज इस सरकार के लाडले टेक्सटाइल कमिश्नर तूफान मचा रहे हैं और मनमाने तौर पर तमाम भ्रष्टाचार बढ़ा कर के उद्योग को नष्ट कर के मनमाने तरीके से उनके कमाने की व्यवस्था कर के इस देश को

चौपट कर रहे हैं उनके लिये, श्रीमन् यह जजमेंट है बम्बई हाई कोर्ट का। यह जजमेंट दिया गया है। ट्वेंटीफोथ डे आफ अगस्ट 1967 को, 24 अगस्त 1967 का जजमेंट है, इस जजमेंट के कुछ पोर्शन को हन पढ़े दे रहे हैं जिससे आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्य समझ जाय कि आज यहां अष्टाचार क्या हो रहा है। टेक्सटाइल कमिश्नर ने जो कबीर मिल और व्यक्ति को 4 लाख 50 हजार रुपये का एलोकेशन कर दिया था उसके बारे में जजमेंट दिया है, वह यह है:—

"In the circumstances I quash or set aside the decision of the Textile Commissioner of allocating Rs. 4,50,000/- worth of hair belting tops to Respondent No. 6 contained in his letter dated 13th July, 1966.

जो टेक्सटाइल कमिश्नर ने फसला दिया, जो अधिकारी लोग थे उनको न दे कर दूसरे गलत लोगों को, डिफाल्टर लोगों को देकर के जिस तरह से उद्योग को चौपट कराया जा रहा है उसके बारे में यह जजमेंट है। जो जज के रिमार्क्स हैं उनकी तरफ भी जरा ध्यान देंगे। जूज यह लिखता है:—

"In view of the above authorities which have been relied upon by Mr. Parpia it seems to me clear that while exercising the discretion which has been vested in him, if the Textile Commissioner has come to a decision albeit after taking into account all permissible matters a decision which no reasonable person or authority could come to on the materials before it, then the decision of the Textile Commissioner is liable to be interfered with."

तो रोजनेबिल परसन आर अथारिटी" ऐसा करता। जितना मटीरियल टेक्सटाइल कमिश्नर के पास था उसकी बिना पर अगर वह सही डिसक्रिशन अपना इस्तेमाल करते तो ऐसे फ़ैसलें पर पहुंच ही नहीं सकते थे। आगे देखा जाय यह है:—

"In my view, as stated earlier, the decision of the Textile Commissioner of making bulk allocation of Rs. 4,50,000/- worth of hair belting tops to Respondent No. 6 on the basis that Respondent No. 6 had the capacity to produce and had in fact produced hair belting yarn which was of the desired quality and specifications acceptable to the Association and the members of the Association will have to be regarded as arbitrary and unreasonable and perverse, and if that is so, that order is liable to be quashed or set aside."

SHRI MOHD. SHAFT QURESHI: On a point of information, may I have the date of that judgment?

श्री राजनारायण : मैंने कहा कि 1967 का है, हमारे पास पूरी अथाराइज्ड कापी है, मंत्री जी को भेज दूँगे।

इस्पात खान और धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : आप पहले ही भेज देते, तो अच्छा होता।

श्री राजनारायण : मंत्री जी से इस सम्बन्ध में बात कर ली थी, मंत्री जी ने हमें कुछ समझाने की कृपा की थी और मैं उनका बड़ा अनुग्रहीत हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: You have explained at great length and it is very interesting. But what I would like you to do now is to put your question because he has made a statement and you have also made a long statement. Now you should put some questions to him so that he may reply to them.

श्री राजनारायण : श्रीमन् अगर आप चाहें, तो सदन का समय हम नष्ट न करें। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी के पास जो बयान उनके विभाग ने लिख कर दिया था वह था और उसको 17 मिनट में वह बेचारे पढ़ दिये।

श्री अकबर अली खान (आंध्र प्रदेश) : और आपने वह पढ़ दिया जो आपके एडवाइजर न लिखा।

श्री राजनारायण तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज इस पर एक दिन डिस्कशन कर दें ताकि सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को खिदमत में आवश्यक मीटर भेज दूँ और सारे मीटर को जान कर के सदन के सम्मानित सदस्य इस पर बहस करें। यह सरकार क्या है, जब चाह जो कर दे कोई तूफाने बदनमोजी का दिमाग है या जने तुगलक के समय देखते थे कि कभी दिल्ली से दौलताबाद और कभी दौलताबाद से दिल्ली राजधानी गई, तो क्या वही तुगलकाना फर्मान फिर चालू करना चाहते हैं? खैर, आप कहते हैं, तो आपकी आज्ञा से कुछ बत्रश्चन ही पूछ लेता हूँ ताकि डिस्कशन में आगे मदद मिले।

क्या माननीय मंत्री जी जो आस्ट्रेलियन गवर्नमट से गिफ्ट एप्रोपेट है उसकी कापी सदन की मेज पर रखेंगे?
पहला सवाल।

क्या माननीय मंत्री जी जो 6 सितम्बर को दिल्ली में मीटिंग हुई थी, इस व्यवसाय में लगे हुए सम्बन्धित लोगों को लेकर और सरकारी कर्मचारियों को लेकर, उसका फौसला सदन की मेज पर रखेंगे? दूसरा सवाल।

तीसरा यह कि 6 सितम्बर को जो फौसला हुआ था उसके मुताबिक अब तक काम क्यों नहीं हुआ, अब तक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हुआ, इस तथ्य और राज को माननीय मंत्री जी हम लोगों को अच्छी तरह से व्यक्त करें।

चौथा प्रश्न। यह जो एक्सपोर्ट फंड आफ दि इंडियन ऊलेन मिल फेडरेशन है इसमें क्या सरकार का भी पैसा है? मैं माननीय मंत्री जी से जानता

चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट फंड आफ दि इंडियन ऊलेन मिल फेडरेशन में सरकार का कितना पैसा है और उस रूपय का सरकार इन्तमाल किस ढंग से और कब कराती है? जसा कि मुझे बताया गया है कि उल का अन्तर्राष्ट्रीय भाव 94 पेन्स की पौंड था और और वह घट कर 90 पेन्स हो गया, तो यह 4 पेन्स की पौंड जो घटा है उसके लिये कहा गया है यह पैसा डिपॉजिट कराया जायगा इसमें जो कि एक्सपोर्ट फंड बना हुआ है और जिसमें कि सरकार का रुपया है और अगर दाम बढ़ जायगा, तो जो रुपया आयेगा वह भी इसी फंड में रखा जाएगा। तो इस फंड का सदुपयोग करने के लिये आगे सरकार क्या व्यवस्था करेगी?

इसके साथ क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि for ad hoc allocation of hosiery yarn and weaving yarn to Himachal—25 lakhs. यह सही है और अगर सही है तो केवल हिमाचल ही को क्यों दिया गया? सोनी 4½ लाख। उनको क्यों दिया गया। यह कौन हैं उनकी कभी कोई शिकायत हुई है यानी कहीं डिफाल्टर है या नहीं?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I have to inform the hon. Member that 'shoddy' is not a person. 'Shoddy' is a type of wool.

Felt & Machine cloth 10 lakh. Khadi and village Industry 8 lakhs, J & K State allocation 7 lakhs and 65 lakhs to be kept in reserve.

मुझे मालूम नहीं कि इसलिए है कि माननीय मंत्री जम्मू और काश्मीर स्टेट से आते हैं एलोकेशन टु वी केप्ट इन रिजर्व जो यह पर्चा है इसमें लिखा हुआ है।

to be kept in reserve, रिजर्व 65 लाख । यह मिला कर हो जाता है ऊपर और नीचे का 705 लाख । इसका उत्तर सरकार बताए । आज हिमाचल में कौन सी स्थिति आ गई कि वहां के कुछ लोगों को यह सरकार मनचाही ढंग से इतने लाख रुपये का वूल देने की व्यवस्था कर रही है और दूसरे राज्यों में इस सरकार की दृष्टि, क्यों नहीं गई ? सब सवालियों का उत्तर सरकार से आना चाहिये बिना रंज हुए । मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि मंत्री जी को रंज न हो रंज होना से समस्या का समाधान नहीं है दत्तचित्त से लगन से निष्ठा से यह सब सवालियों का जवाब दें क्योंकि गुस्सा करने से कोई काम नहीं बनता । और यह मैं नहीं कहता मंत्री जी न यह साड़ी खुद ली हैं । हो सकता है मंत्री जी के घर में रखी हैं और उनको पता नहीं है । आजकल जो जो करपान के तरीके हैं उसने उद्योग-पति यूं ही खिलाते हैं । तो हमको जो टेलीफोन हुआ उसकी जानकारी है क्योंकि "खां साहब के पास जाना है अभी" वह खां साहब कौन हैं कैसे हैं ?

SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE (Maharashtra): May I know if there is any condition laid down on the importers of this wool that certain portion of it should be exported as yarn or as cloth or as some finished product?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : चेयरमैन सर, राजनारायण जी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं जिनका मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि वह ऐसे सवाल हैं जिनके मुतालिक चायद उन्हें काफी हद तक गलतफहमी है । "हमारी वूल के बारे में जो पालिसी है यह रही यह है कि पहले वूल जो हम आस्ट्रेलिया से मंगाते थे उस पर प्राइस कन्ट्रोल भी था और डिस्ट्रिब्यूशन कन्ट्रोल भी था और जिस वक्त डिबेल्यूएशन से पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम थी उसकी तहत वह लाइसेंस लोगों को मिलते थे जो नेशनल डिफेंस रेमिटेन्स स्कीम के

तहत लाइसेंस लोगों को मिलते थे उस लाइसेंस के बदल में भी लोग बाहर से आस्ट्रेलिया से वूल मंगा सकते थे लेकिन उस वूल पर जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत आता था या नेशनल डिफेंस रेमिटेन्स सर्टिफिकेट के तहत आता था उसका ऊपर कोई कन्ट्रोल नहीं था। हालांकि क्वालिटी दोनों की एक ही थी एकजुअल यूजर्स क्वालिटी वही थी और वह जो वूल मंगाया जाता है उसकी क्वालिटी भी वही थी । तो यह एक शिकायत थी हमारी पालिसी में कि एक ही किस्म का वूल जो आस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है उसमें एक पर कन्ट्रोल है एक पर कन्ट्रोल नहीं है । अल्टीमेटली कन्ज्यूमर पर उसका असर पड़ता है । गवर्नमेंट कभी नहीं कहती कि यह जो वूल है इसका कपड़ा बने। इसका होजयरी बने। यह जो इम्पोर्टेड वूल है या एन० डी० आर० एस० सी० का वूल है यह एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत आता है । तो इसमें यह होता था कि जो वूल हम आस्ट्रेलिया से मंगाते थे उसको हम देते थे स्पिनर्स को जिसका पहला प्रोसेस कोम्बिंग का होता है, कोम्बिंग के बाद स्पिनर्स को जाता है । स्पिनर्स को जो यूनिट हमारे हिन्दुस्तान में हैं वह 44 ह और राजनारायण जी कहते हैं कि हमने उन पर जुल्म किया है । हमने 34 जो मिले हैं उनको 20 परसेंट कोटा अलाट किया है। ये जो स्पिनर्स हैं ये तीन किस्म का धागा बनाते हैं एक बीविंग का, एक होजयरी का और एक निटिंग का और उनको यह धागा होजयरी वालों को निटिंग वालों को और बीविंग वालों को देना होता है । लेकिन हमारा तर्जुबा यह रहा कि पिछले दो साल से इन 44 मिलों ने जिनकी वकालत और दलाली राजनारायण जो यहां कह रहे हैं उन्होंने इस डिसेन्टलाइज्ड सेक्टर का एक आउन्स भी धागा नहीं दिया । मुझे अफसोस है कि डिसेन्टलाइज्ड सेक्टर में हैं 1100 यूनिट, 200 यूनिट हैं बीविंग

[श्री मोहम्मद शफी कुरेशी]

में और 300 हैं निटिंग में लेकिन उनका तो राजनारायण जी को खयाल ही नहीं है क्योंकि उनमें हजारों गरीब काम करते हैं मगर जो 44 मिलें हैं जिन्होंने आज तक उनको धागा नहीं दिया आज उनको वह वकालत करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछल समय चाइनीज अग्रेशन के जमाने में यह मिसाल दी कि उन मिलों में से कुछ ने डिफेन्स के वास्ते मंगाए हुए बूल को अपने कारखाने के लिये मंगवा कर ब्लेक करके लोगों को बेचा। मुझे अफसोस होता है कि सोशलिस्ट पार्टी के एक लीडर आज गरीबों का गला घोट कर चंद सरमायादारों के हाथ में खिलीना बनना चाहत हैं।

अब हमने क्या किया कि हमने उन 44 मिल वालों से कहा कि आप उन लोगों को धागा नहीं देते हैं होजयरी वालों को धागा नहीं देते हैं, निटिंग वालों को धागा नहीं देते हैं, उससे अल्टीमेट कन्ज्यूमस को कोई फायदा ही नहीं होता है। This was the scheme, यह एक खेल था स्पिनर और वीवर के दरमियान प्राफिट इधर का उधर उधर का इधर कर देते थे। लेकिन जो बाजार में खरीदने वाला इन्सान था स्वाह वह होजयरी खरीदे, निटिंग यार्न खरीद या कपडा खरीदे उसको कोई फायदा नहीं पहुंचता क्योंकि अब बजाय इसके कि कान्सन्ट्रेशन 44 मिलों के हाथ में था और डिसेन्ट्रलाइज्ड सेक्टर उनकी तरफ आंख लगा कर देख रहा था वह कहते थे कि हमको तुम्हारी कीमतें मंजूर नहीं हैं। 44 मिलों ने कहा हम धागा नहीं देंगे जब तक डिबेल्युएशन के बाद प्राइस रेंज जो हुई है वह हमको हीं दोगे। जब हम उनको कन्ट्रोल रेट पर माल देते हैं, तो उनको अच्छा माल देना चाहिये डिसेन्ट्रलाइज्ड सेक्टर को लेकिन माल देते हैं खराब उसमें मीडिस्चर होता था मिलावट होती थी। हमने

मिलावट को और रद्दी माल को रोकने के लिये यह किया है कि बजाय इसके कि 44 आदमियों के पास इस बूल का कांसेन्ट्रेशन रहे। तमाम गरीब आदमी जो लुधियाना में पंजाब में अमृतसर में डिसेन्ट्रलाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं उनको हमने एक्चुअल यूजर बना दिया एक्चुअल मालिक बना दिया : अब वे जायेंगे माल लेकर फिर 44 मिलों में let them develop some element of competition in decentralised hosiery weaving and knitting. तब वह खुद अपनी मर्जी से जाकर कतवाएंगे और जहा उनको सही दाम मिलेगा वहां कतवाएंगे। इसमें इफीशियेन्सी बढ़ेगी और कंपटीशन होगा। जो हमारा असली मकसद है वह है अल्टीमेट कंज्यमर को फायदा पहुंचाना वह तभी हो सकता है जब उसकी कताई की लागत कम हो। जिस सेक्टर की दलाली और वकालत राजनारायण जी करते हैं उन्होंने आज तक एक कौड़ी की चीज कन्ट्रोल रेट पर नहीं बेची हालांकि उनको बूल कन्ट्रोल रेट पर मिलता है करोड़ों रुपये का फारेन एक्सचेंज हम देते हैं लेकिन फायदा हमको नहीं पहुंचता। लेकिन हमने डिसेन्ट्रलाइज्ड सेक्टर से यह कहा है कि वह अपने माल के तैयारगुदा हिस्से में से चालीस पचास फी सदी हिस्सा सुपर बाजार को दें, को-आपरेटिव्ह मार्केट को दें, गवर्नमेंट आफिसेज को दें ताकि हम इनसानों के वास्त सही दामों पर यार्न होजयरी और कपडा दे सकें। अगर राजनारायण जी इन्हीं 44 आदमियों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो मैं हैरान हूं कि यह कैसी बात कर रहे हैं। वैसे मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी। मैं उनकी जात पर हमला नहीं करूंगा लेकिन जो ब्रीफ उनको मिला है विलकुल गलत है। हकीकत यह है हमने यह जो सेन्ट्रलाइज्ड सेक्टर है इसको हमने भुखा नहीं मार दिया उनको हमने यह कहा है कि जो स्पिनर्स हैं उनको 20 परसेण्ट

प्रोरेटा बेसिस पर वूल देंगे ताकि उनकी कैपिसिटी बेकार न रहे। उसके बाद जो वूल यहां पर आयेगा मुल्क में आखिर वह भी तो इन्ही लोगों ने कातना है वह भी तो इन्हीं स्पिनर्स के पास कातने के लिये जायेगा। मैं समझता हूँ स्पिनर्स में आपस में कंपीटीशन होना चाहिये ताकि रेट्स में भी मुकाबला हो सके नहीं तो पहले यह होता था कि जो रेट चाहते थे उस रेट पर डिसेन्ट्रलाइज्ड सेक्टर को धागा देते थे। इसमें हमने 4 करोड़ रुपया लिखा है इम्पोर्ट करने के लिये उसमें से अगर 20 परसेन्ट सेन्ट्रलाइज्ड सेक्टर को दे दें, तो पहले उनको 80 लाख रुपये का वूल मिल जाता है और फिर जो कम्पोजिट युनिट्स हैं जिनके पास स्पिन्डलस भी हैं, लूमस भी हैं, वे होजयरी भी बनाते हैं, निर्दिग यार्न भी प्रोसेस करते हैं उनको उसके अलावा अपना हिस्सा मिलेगा और ये वही लोग हैं जिनके मुतालिक राजनारायण जी अभी आधा घंटा पहले कह रहे थे यह बिड़ला है फलाना है यह डालमिया है। ये उन्हीं लोगों की अभी वकालत कर रहे थे। अब मैं हैरान हूँ कि श्री राजनारायण जी उनकी वकालत कैसे करने लग गये हैं। आप कहते हैं कि हम उनको मार रहे हैं। हम उनको नहीं मार रहे हैं। आपकी हमदर्दी उनके साथ है, तो आप यह भी सून लीजिये कि हम भी उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हमने मिल सेक्टर को जिसमें दिग्विजय मिल्स और दूसरी मिल्स हैं उनको 20 परसेन्ट प्रोरेटा बेसिस पर दिया। फिर 176 लाख में से दो तिहाई स्पिनिंग के लिये विविग के लिये और होजियरी के लिए दिया। तो इस तरह से 1 करोड़ 17 लाख रुपये का मजीद हिस्सा मिलेगा और इसके साथ ही होजरी भी उनके पास है जो बड़ी बड़ी युनिट्स हैं जिनकी आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी युनिट्स धागा भी बनाती हैं होजरी भी बनाती

हैं और कपड़ा भी बनाती हैं। तो इस तरह से उनको इसमें 8 लाख रुपये का मजीद हिस्सा मिलेगा। तो टोटल एलोकेशन में से इन बड़ी बड़ी मिल्स को तकरीबन जो सेन्ट्रलाइज्ड सेक्टर में है उनको 60 परसेन्ट मिलेगा। अगर हमने 40 परसेन्ट गरीब लोगों को दे दिया जिनका आप विरोध कर रहे हैं जिनको आप पसन्द नहीं करते हैं और जिनको आप ब्लैकमार्केटर समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वही लोग सबसे बड़े ईमानदार हैं और हमें उनकी ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहिये। हमें हर एक कारोबारी इन्सान को यह समझना चाहिये कि वह ईमानदार है। मैं किसी को किसी की बात पर इल्जाम या तोहमत नहीं लगाना चाहता हूँ। आपके पास अगर कहीं से खबर आती है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं उस हक तक अपनी जात को और शान को बचाने के लिये कोई खास लफ्ज कहूँ क्योंकि मैं एक बाइज्जत और बाहोश आदमी हूँ। (*Interruption*) मैं किसी से घबराता नहीं हूँ। जिस का दामन साफ होगा वह किसी से घबरायेगा नहीं। मैं बजुज खुदा के और किसी से घबराता नहीं हूँ और आप इस बारे में बाखबर रहिये।

तो इस हिसाब से हमने एक नई पालिसी इवांल्व की ताकि तमाम सेक्टर को फायदा मिले, तो कोई बुरी बात नहीं है। नहीं तो हमारे लिए मुसिबत थी क्योंकि वे हजारों लोग जो डिसेन्ट्रलाइज्ड सेक्टर में काम करते थे जो हजारों निर्दिग, विविग और दूसरा काम करते थे वे हर रोज हमारे पास आया करते थे कि हमारे पास वूल नहीं है हमें सेन्ट्रलाइज्ड सेक्टर वाले धागा नहीं देते हैं और हमारे साथ कीमत मुकर्रर नहीं करते हैं। हमें वे गलत किस्म की वूल देते हैं। हमने इस तरह से हजारों गरीब लोगों को फायदा पहुंचाया है क्योंकि डिसेन्ट्रलाइज्ड सेक्टर में लाखों इन्सान

[श्री मोहम्मद शफी कुरेशी]
काम करते हैं और मोनोंपलीवालों को एक तरह से खत्म कर दिया है। अगर राजनारायण जी इस चीज में नाराज होते हों, तो हों। लेकिन हमने जो कुछ किया है वह मुल्क के बकार के लिए, मुल्क के बफाद के लिए और इन्डस्ट्री के फायदे के लिए ही किया है।

दूसरा प्वाइन्ट जो उन्होंने उठाया था वह आस्ट्रलियाई वूल के मुतालिक था।

श्री राजनारायण : रिपीटिशन है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : रिपीटिशन नहीं है। हाँ एक दिलचस्पी बात राजनारायण जी कहने लगे कि वस्टेंट सेक्टर को दिया (Interruption) उन्होंने जो शाडी, शाडी कहा जो यह शाडी कोई इन्मान नहीं है। शाडी एक किस्म की वूल है जो इस्तेमाल में लाई जाती है और जिसके कम्बल बनते हैं। आपने कैसे कहा 8 लाख . . .

SHRI RAJNARAIN: Mr. C. R. K. Soni of Kabir Woollen Mills.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I challenge that statement in this House. If Rs. 8 lakhs have been paid for wool, I challenge the statement in this House.

श्री राजनारायण : आप करेक्ट कर दीजिये। आप इधर उधर बहक रहे हैं। मैं मंत्री जी का बहुत ही अनुगृहीत हूँ और यह अच्छा हुआ कि इस समय प्रधान मंत्री जी भी आ गई हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज जितने उद्योगधन्दे हैं उनका आप राष्ट्रीयकरण कर दीजिये। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज जितना प्राइवेट सेक्टर में धन लग रहा है उससे देश के धन का दुरुपयोग हो रहा है। एक जजमेंट हमने पढ़ा। वह जजमेंट क्या पढ़ा और वह उन्होंने दिया किस को

4 1/2 lakhs of hair-building tops issued in 1966 in favour of M/s. Kabir Woollen Mills, Ludhiana.

यह छोटे छोटे लोगों को नहीं दिया गया वह कबीर वूलन मिल्स लुधियाना को दिया

गया। जो कबीर वूलन मिल्स है और जो सोनी साहब है वे मंत्री जी के कहीं नजदीक के होंगे। यहां पर एक गलत-बयानी की जा रही और मंत्री जी को बड़ा दर्द हो रहा है। आज मंत्री जी हमको सबक देने लगे हैं और समाजवाद पढ़ाने लगे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो पावर लूम्स का मामला है उसको देखिये और उसके आर्डर को नहीं पढ़ा गया है

"in respect of weaving

yarns the allocation for this sector will be equally distributed on the basis of this eligible registered woollen and power-looms irrespective of whether the yarn in the organised sector or in the decentralised sector."

तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो लोग पावर लूम्स में कपड़ा बनाते हैं और मैं इस संबंध में इस सदन में सवाल भी उठा चुका हूँ जब कि श्री मोरारजी . . .

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : The Hon. Minister has already stated that the wool is being distributed to powerlooms in the decentralised sector.

श्री राजनारायण : मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ और श्री कुलकर्णी जी अपनी बात कहें जा रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: I think you have taken a long time.

श्री राजनारायण : तो मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि हमने मिनिस्टर साहब को अच्छी तरह से समझ लिया है क्योंकि देश का जो करोड़ों रुपया है वह सरकार ने अपने चहेतों के नाम पर in the name of the poor section of the society को दे दिया है। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे वाणिज्य मंत्री जी इन दी नेम आफ दी पुवर सोसायटी उनफे घर कभी गये ? एक कहावत है और वह इस तरह है। "जाके पांव न कटे दिवाई वह क्या जाने

पीर पराई ।" पुंजीपतियों के गोद में पलने वाले इस सदन में आज लम्बी चीड़ी बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ पर पूरे एक दिन की बहस की इजाजत दी जानी चाहिये कि किन किन लोगों को इन दी नेम आफ दी पुवर सेक्शन आफ दी सोसायटी पर दिया गया है और क्या काश्मीर भी इसमें शामिल है।

चीन के हमले की बात भी कही गई है और इस सदन में उस संबंध में सवाल भी उठाया जा चुका है। चीन के हमले के समय जो नाथलान आये थे उसको कंट्रोल और डिक्ंट्रोल करके इस सरकार ने अपने चहेते को दिया था जबकि श्री मनुभाई शाह यहाँ पर थे। (Interruptions) अभी उन्होंने कहा था कि हम वकालत कर रहे हैं लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि वे हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वकालत कहाँ की जा रही है। अगर मंत्री जी सही हैं, तो यह वकालत वहाँ के लिए की जा रही है जहाँ पर जाने में थोड़ी गाई टूटेगी।

SHRI A. G. KULKARNI: On a point of clarification...

MR. CHAIRMAN: Mr. Rajnarain, please sit down. Have you got anything more to say?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: Yes, Sir.

SHRI TRILOKI SINGH (Uttar Pradesh) : I have to ask one question.

क्या मोहम्मद शफी कुरेशी यह बयान करने की जहमत गवारा करेंगे कि मिर्जापुर और भदोई में जहाँ वूल के कालीन बनते हैं उनके बनाने वालों को विलायती वूल मंगाने के लिए इम्पोर्ट लाइसेंस भी दिया जाता है? अगर यह बात सही है तो क्या मोहम्मद शफी कुरेशी यह भी बयान करने की जहमत गवारा करेंगे कि उन लोगों के पास उस वूल का कोई इस्तेमाल नहीं है और वह उसका मुनाफाखोरी करके

बड़े कारखानदारों के हाथ जो कपड़ा बनाते हैं बेच देते हैं?

SHRI A. G. KULKARNI: I want to ask one question. Will the Minister please let us know whether it is not a fact that during the Chinese aggression, the wool imported into this country had been misused by these 44 spinning mills? There is a scandal going on and the case is at present with the CBI. Is it a fact? I want to know that.

SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE: He has already mentioned it.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं माननीय सदस्य श्री त्रिलोकी सिंह जी के सवाल का जवाब दूंगा कि मिर्जापुर और भदोई में जो कालीन बनाते हैं उनको एक्सपोर्ट के अग्रेस्ट इम्पोर्ट करने की इजाजत के बेसिस पर राँ वूल एम्पोर्ट करने की इजाजत दी जाती है और यह रिप्लेनिशमेंट बैसिस पर ही दी जाती है। इस चीज़ के लिए कोई कोटा मुकर्रर नहीं किया जाता है।

श्री त्रिलोकी सिंह : कालीन में तो वूल लगाने नहीं है मगर वे इस तरह का वूल ले लेते हैं।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : कालीन बनाने में, तो इंडिजिनस वूल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिन कालीनों को वे एक्सपोर्ट करते हैं उसमें वे वूल को मिस्र करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी बूटर हो सके।

श्री त्रिलोकी सिंह : क्या मैं यह समझू कि मोहम्मद शफी कुरेशी साहब की यह इत्तिला है कि मिर्जापुर भदोई और आगरा में जो कालीन बनाने वाले हैं, वे उस परदेगी वूल का इस्तेमाल करते हैं और उसे कालीन के धागे में मिलाते हैं?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं पहले राजनारायण की बात के बारे में अज्ञ कर देना चाहता हूँ जो उन्होंने आस्ट्रेलियाई वूल के बारे में कहा था। आस्ट्रेलियाई वूल जो है वह कोई तोहफा नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है। आस्ट्रेलिया की सरकार ने यह वूल इस गरज से दी है ताकि यहाँ के एक्स-

[श्री मोहम्मद शफी कुरेशी]
 पोर्टों को तकलीफ न हो, वक्त जाया न हो और इसी वजह से उन्होंने पूल कायम किया है जिसमें 40 लाख पाँड़ वूल मौजूद रहेगी और इसके लिये हमें कोई फारेन एक्सचेंज नहीं देना है। यह 40 लाख पाँड़ वूल जब बिक जायगी, तो इससे जो रुपया यहां पर हासिल होगा, वह रुपया आस्ट्रेलिया हुकूमत की मदद से और उनके मशबरे से हमारे ही मुल्क में वूल की इंडस्ट्री की तरक्की और फरोग के लिये इस्तेमाल किया जायगा। वह 40 लाख पाँड़ वूल खत्म होने को बाद जो भी वूल मंगाई जायगी रिप्लेनिशमेंट बेसिस पर, उसके लिये हम को फारेन एक्सचेंज अदा करना होगा। यह कोई खुफिया बात नहीं है और न कोई खुफिया मुआहिदा है।

1 P. M.

श्री राजनारायण : तो फिर वह ऐग्रीमेंट यहां रखिये।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : हमें उसमें कतई कोई एतराज नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं उनको उसकी मोटी मोटी शर्तें बता देता हूँ।

श्री राजनारायण : हमें जरूरत नहीं है जानने की। पूरे कागजात यहां रखिये।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : उसमें यह है कि हर छः महीने के बाद इसका असेसमेंट किया जायगा कि कितनी बल उठाई गई और कितनी रेप्लिनिश की गई। लेकिन हमने देखा कि बदकिस्मती से जिन लोगों को यह वूल लेनी चाहिये थी उन्होंने थोड़ी सी कंजुमर रेजिस्ट्रेंस दिखाई। जिन के मुताल्लिक अभी राजनारायण जी कह रहे थे कि हम उनका गला घोट रहे थे, उन्हीं लोगों ने इस वूल का बायकाट किया कि हम यह वूल नहीं लेंगे। पहले हमने कुछ लोगों को बुला कर के मशबरा किया था और कहा था कि हम यह वूल मंगा रहे हैं। इस वक्त तक 1 लाख 70 हजार पाँड़ के करीब वूल इस पूल से उठाई गई

है और हमने यह फैसला किया है कि बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स जो यह वूल नहीं खरीदना चाहत, उनको जो वूल के खिलाफ रेप्लिनिशमेंट लाइसेंस मिलेंगे उसमें उनको तब वूल दी जायगी जब कि वे आस्ट्रेलियन वूल उस पूल में से उठायें। यह कोई खुफिया मुआहिदा नहीं है। हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिये हमारे निर्यात बढ़ाने के लिये यह पूल कायम किया गया था और सके लिये हमें आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का मशकूर होना चाहिये।

दूसरी बातें जो राजनारायण जी ने उठाई मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ अगर हम कम जायं तो अच्छा है। जो उन्होंने अदालत का फैसला और कोई सोनी साहब का जिक्र किया मैं यह कह सकता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी के लोग हमारे पास आते जाते रहते हैं लेकिन हमारा ज्ञाती ताल्लुक किसी के साथ नहीं है और अगर आप यह समझते हैं कि कोई इसान अपनी ईमानदारी को अपनी सियासत को 25 साड़ियों के लिये बच सकता है, तो आप बड़ी गलती पर हैं। आप को इसान को समझाने की कोशिश करनी चाहिये। मैं खां साहब नहीं हूँ और न लाट साहब हूँ। मुझे सीधे लोग कुरेशी के नाम से जानते हैं। आप हवा में य अलीगेशन लगाते हैं...

श्री राजनारायण : आप बेकार शेखी मत बधारिये। पहले उसने खां साहब कहा और फिर कुरेशी साहब कहा। आप बिशकुल गलत कहते हैं। मैं समझता था कि आप तहजीब से बात करेंगे। लेकिन जब आप शेखी मार रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ कि वह शरूस आप हैं और वह आपके घर गया है।

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I challenge him. Let him say this thing outside.

श्री राजनारायण : मैं आज ही पब्लिक मीटिंग कराके कहूंगा।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : तो ठीक है। आपको उसका जबाब मिलेगा।

श्री राजनारायण : जवाब आप हमको क्या देंगे। इन्दिरा जी जो यहां बैठी हैं वह जवाब दे नहीं सकती तो आप क्या जवाब देंगे।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : हर आदमी का दामन देखते हैं और अपना दामन देखते नहीं।

श्री राजनारायण : अभी मैं सीधे सीधे कह रहा ...

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

श्री राजनारायण : अगर यही बात है तो जो छिपा है मैं वह भी खोल देता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Next item.
Papers to be laid on the Table.

श्री राजनारायण : नहीं, हर्गिज नहीं, आप इस तरह से ज्यादाती नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे अदब के साथ अर्ज करूंगा कि आप इस तरह से ज्यादाती न करें और मुझे एक सवाल पूछने दें ...

SHRI A. G. KULKARNI: How can he say that? He must take it back or it must be expunged.

श्री राजनारायण : चाइनीज एग्जेशन के बाद, जो माल यहां आया था वह जब चाइनीज हमला खत्म हो गया, तो इसी सरकार ने केवल एक कम्पनी को दे दिया ...

SHRI KRISHAN KANT (Haryana) : Sir, you have already gone to the next item. Why should he continue to speak?

श्री राजनारायण : तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि चाइनीज एग्जेशन के बाद वह माल क्यों इस सरकार ने केवल एक कम्पनी को दे दिया ?

MR. CHAIRMAN: Sit down,
Mr. Rajnarain.

SHRI MOHD. SHAFI
QURESHI: The other point is...

SHRI RAJNARAIN: What other point? श्रीमान इसका जवाब दिलवाइये।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : कुछ सन्न कीजिये।

श्री राजनारायण : सन्न तो हमने बहुत कि या। हम समझते थे कि आप शरीफ आदमी हैं।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : चूँकि आज आप को जवाब मिला खरा खरा इस लिये मैं खराब आदमी हो गया।

SHRI KRISHAN KANT: It must be withdrawn, the way he has spoken.

श्री राजनारायण : आप अपनी लिमिट में रहिये। हम दस बार कहेंगे। चले हैं हमें सिखाने।

SHRI MOHD. SHAFI
QURESHI:

One sentence, Sir, because he has talked about Himachal Pradesh and Kashmir.

हिमाचल प्रदेश को हम बूल नहीं देते हैं बल्कि वागा देते हैं। हमने 25 लाख का हिमाचल प्रदेश को वागा दिया है क्योंकि कुल्लू कांगड़ा और दूसरे पहाड़ी इलाके में शाल की इंडस्ट्री काफी बड़ी है और काफी लोग इस शाल की इंडस्ट्री में काम करते हैं। इस चीज को महेनजर रख कर के हमने वह खास अलाटमेंट हिमाचल के इलाके के लिये किया है क्योंकि वह चीजें वहां से बन कर के और तैयार हो कर के एक्सपोर्ट भी होती हैं। जहां तक काश्मीर का ताल्लुक है काश्मीर में अगर कोई इंडस्ट्री है तो वह बूल की इंडस्ट्री है जिस में तकरीबन पांच छः हजार आदमियों का गुजारा होता है। तो हमने कोई खास रिआयत काश्मीर से नहीं बरती। काश्मीर को हमने पब्लिक सेक्टर में 16 लाख रुपये का बूल दिया है। जहां पर सारे हिन्दुस्तान का 12½ करोड़ का कोटा था वहां पर उस स्टेट को 16 लाख रुपये का कोटा पब्लिक सेक्टर के लिये दिया गया। तो किसी खास स्टेट से कोई खास रिआयत नहीं बरती जाती है बल्कि चाहे वह बम्बई हो मिर्जापुर हो भदोई हो अमृतसर हो लोधियाना हो जहां जहां पर बूल की जरूरत होती है वहां वहां उसको पूरा किया जाता है। (Interruption)

[श्री मोहम्मद शफी कुरेशी.]

जहाँ तक आपने चाइनीज एग्जेशन के जमाने की बातें कहीं मैं आपसे यही अर्ज करूँगा कि जिन मिलों की आप दलालत करते थे उनमें से कुछ मिलें उसमें इनवाल्ड हैं और वह कैसे सी० बी० आई० के पास है। वह जब रिपोर्ट आयेगी, तो आप को दिखा दी जायेगी और आप को मालूम हो जायेगा कि आप गलत आदमियों की वकालत कर रहे थे।

श्री राजनारायण : मैं आपसे श्रीमन् रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसपर बहस के लिये आप एक दिन अलाट कीजिये।

MR. CHAIRMAN: That I shall consider.

I shall consider.

MR. CHAIRMAN : That I shall consider.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT (1965-66) AND ACCOUNTS OF THE MINING AND ALLIED MACHINERY CORPORATION LTD. DURGAPUR AND RELATED PAPERS

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK): Sir, on behalf of Shri Fakh-ruddin Ali Ahmed, I beg to lay on the Table : (a) each copy of the following papers, under sub-section (1) of section 619-A of the Companies Act, 1956:—

श्री राजनारायण : आप हर चीज के लिये यहाँ कह देते हैं (i) Annual Report and Accounts of the Mining and Allied Machinery Corporation Limited, Durgapur, for the year 1965-66, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(ii) Review by Government on the working of the Company. [Placed in Library. See No. LT-1833/ 67 for (i) and (ii).]

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS NOTIFICATIONS

SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK : Sir, I also beg to lay on the

Table a copy each of the following Notifications of the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development): —

(i) Notification S.O. No. 2943, dated the 26th August, 1967, publishing an amendment to Government Notification S.O. No. 1119, dated the 30th March, 1967.

(ii) Notification S.O. No. 2944, dated the 26th August, 1967, publishing an amendment to Government Notification S.O. No. 2372, dated the 11th July, 1967. [Placed in Library. See No. LT-1832/ 67 for (i) and (ii).]

ANNUAL REPORT (1966-67) AND ACCOUNTS OF THE EXPORT INSPECTION COUNCIL, CALCUTTA, AND RELATED PAPERS

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report and Accounts of the Export Inspection Council, Calcutta, for the year ended the 31st March, 1967, together with the Audit Report on the Accounts. [Placed in Library. See No. LT-1835/67.]

MINISTRY OF COMMERCE NOTIFICATION

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the Ministry of Commerce Notification S.O. No. 3965, dated the 6th November, 1967, publishing the Exnort (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1967, under sub-section (3) of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963. [Placed in Library. See No. LT-1834/67.]

GOVERNMENT RESOLUTION RE-REPORT OF N.C.D.C. COMMITTEE

SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK : Sir, I beg to lay on the Table a copy of Government Resolution No. C2-8(7)/67, dated the 7th October, 1967, extending the period for submission of the Report of the National Coal Development Corporation Committee. [Placed in Library. See No. LT-1709/ 67.]